



5

हिंदू नेता की एहाई तक बांगलादेशियों को वीजा जारी न किया जाए : अधिकारी

6 जलवायु परिवर्तन के खतरों से बचों का बचाएं

7 अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में हुआ 'महावतार नरसिंह' का प्रीनियर

फर्स्ट टेक

परिवार अदालत ने धनुष और ऐश्वर्या राजनीकांत के बीच तलाक को मंजूरी दी। फिल्म निर्देशक कर्स्टीराज के बेटे धनुष और सुपरस्टार रसनीकांत की बेटी ऐश्वर्य ने 18 नवंबर 2024 को अपने दोनों परिवारों के आपायदि से विवाह किया। इस दंपती के दो बेटे हैं। शादी के 18 साल बाद नवंबर 2022 में उन्होंने औपचारिक रूप से एक-दूसरे से अलग रहने की घोषणा की। एक-बाद वे कानूनी रूप से एक-दूसरे से अलग होने के लिए परिवार अदालत गये और परस्पर सहभानि से तलाक का आदान परिवार अदालत की न्यायाधीश सुधारोंकी के सामने पेश हुए, जिन्होंने बदं कर्म से सुनवाई की। हालांकि, वे अलग होने पर अडे रहे। इनके बाद न्यायाधीश ने बुधवार को उनके बीच तलाक को मंजूरी दी।

सरकार ने 6.69 लाख सिम कार्ड, 1.32 लाख आईएमईआई ब्लॉक किए
नई दिल्ली/भारा। केंद्र ने देश में साथर अपार्टमेंट पर लगान लगाने के लिए पुलिस अधिकारियों द्वारा बताए गए 6.69 लाख सिम कार्ड और 1.32 लाख अंतर्राष्ट्रीय मोबाइल उपकरण परचान (आईएमईआई) नंबर ब्लॉक किए हैं। यह जानकारी बुधवार को राज्यसभा को दी गई। गृह राज्य मंत्री भी संजय राज को एक प्रश्न के लिये उत्तर में कहा कि केंद्र द्वारा और दरसंचार सेवा प्रदाताओं (टीएसपी) ने विवरों से आने वाली ऐसी कानूनी परिवार कर उत्तेज्ज्वला करने के लिए एक प्रणाली विकासित की है जिसमें भारतीय नंबर प्रदानित होते हैं। ऐसी कॉल से प्रतीत होता है कि वे भारत से ही की गयी हैं। उन्होंने कहा कि इस तरह की कॉल को ब्लॉक करने के लिए टीएसपी को निर्देश दिया गया।

न्यामांग के सैन्य शासन प्रमुख के खिलाफ गिरणारी वारंट जारी करने का अनुरोध
डेंग/एसी। अंतर्राष्ट्रीय अपाराधिक अदालत के मुख्य अधियोजक ने बुधवार को न्यायाधीशों से स्थामांग के रोहिण्या मुस्लिम अपरस्यकों के खिलाफ दिया गए अपाराधिक कानून का लिए देश के संघ वासन के खिलाफ निरपत्री वारंट जारी करने का अनुरोध किया। वरिष्ठ जनल मिन अंग हाइंग पर रोहिण्यों के निवासन और अपराध का आरोप है। जनल मिन अंग हाइंग ने 2021 में तखापलट के जरिये निवासित नेता अंग सान सू ची से सत्ता हाथिया ली थी।

27-11-2024 5:39 बजे 28-11-2024 6:14 बजे

BSE 80,234.08 (+230.02) NSE 24,274.90 (+80.40)

सोना 7,981 रु. (24 केटे) प्रति ग्राम चांदी 98,000 रु. प्रति किलो

मिशन नडेला
दक्षिण भारत राष्ट्रमत
राज्य भारत का लोकप्रिय हिंदू दैनिक
epaper.dakshinbharat.com

कैलाश नडेला, नौ. 9828233434

माया-जाल

बोलो कब छुटी है किसके,
यूं झटपट दूरीयां माया।
मायायी बन बैठे त्यागी,
सच में उन सबने भरसाया।
माया की पोल खुली जिसकी,
वो बिना बात ही गरमाया।
माया का मायाजाल देख,
हर मायापति भी शरमाया।

दक्षिण भारत राष्ट्रमत

तुकंशिन पारत राष्ट्रमत | त्रिनकारी श्रीनिंथी नालीकांत | चेन्जई और बंगलूरु से एक साथ प्रकाशित



हिंद-प्रशांत को व्यापक सहयोगात्मक दृष्टिकोण की ज़रूरत : जयशंकर

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

रोम/भारा। विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने छाड़ के उभार को एक उल्लेखनीय घटनाक्रम करार देते हुए कहा कि हिंद-प्रशांत क्षेत्र नए संबंधों और साइबरी सेवेत महत्वपूर्ण परिवर्तनों से गुजर रहा है।



जयशंकर को शहर पूर्यु से हिंद-प्रशांत भारीयों के साथ जी 7 विदेश मंत्रियों के सत्र में कहा, सामूहिक प्रयासों के युग में, हिंद-प्रशांत क्षेत्र आज व्यापक सहयोगात्मक दृष्टिकोण के महत्व को रेखांकित करता है। उन्होंने हिंद-प्रशांत क्षेत्र में समृद्धि सुखला, सीमोंकर्डर, आपूर्ति सुखला, अधिक संसाधनों से सतत छह प्रमुख आवश्यकताओं का उल्लेख किया।

'सनातन धर्म एक्शन बोर्ड' के गठन संबंधी याचिका पर गौर करने से अदालत का इंकार

नई दिल्ली/भारा। दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को 'सनातन धर्म एक्शन बोर्ड' के गठन की मामली जानकारी देते हुए किया पर विचार करने से इकाकर कर दिया। मुख्य न्यायाधीश मनमोहन की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि वह अधिकारियों को इस तरह का बोर्ड गठित करने का निर्देश नहीं देते सकते क्योंकि यह मुद्रा नीतिगत क्षेत्र में आता है।

पीठ ने याचिकाकर्ता को इसके बजाए सकारात्मक करने के बारे कहा।

"आपको सकारात्मक करने के बारे कहा, कि वह मामले को हवाला देते हुए कहा है कि तमिलनाडु ने कारीगरों के लिए सामाजिक न्याय पर इंद्रिय एक अधिकारी समावेशी और व्यापक योजना तैयार करने के आधार पर भेदभाव नहीं करती है।"

पीएम विश्वकर्मा योजना को मौजूदा स्वरूप में नहीं लागू करेगा तमिलनाडु : स्टालिन

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

मुख्यमंत्री ने इस साल चार

जनरी को प्रधानमंत्री नेटवर्क को लिखे पत्र में लागू नहीं करेगा।

स्टालिन ने नामी को प्रधानमंत्री नेटवर्क को लिखे पत्र में लागू नहीं करता है।

इसके लिए सामाजिक न्याय पर इंद्रिय एक अधिकारी समावेशी और व्यापक योजना तैयार करने के लिए तमिलनाडु सरकार ने उल्लेख दिया।

इसके लिए तमिलनाडु में संशोधन की मांग की थी।

स्टालिन ने कहा, "ऐसी स्थिति में तमिलनाडु सरकार के कार्रवाई नामी को उनके मौजूदा स्वरूप में लागू नहीं करता है।"

इसके लिए तमिलनाडु में संशोधन की मांग की थी।

स्टालिन ने कहा, "ऐसी स्थिति में तमिलनाडु सरकार के कार्रवाई नामी को उनके मौजूदा स्वरूप में लागू नहीं करता है।"

इसके लिए तमिलनाडु में संशोधन की मांग की थी।

स्टालिन ने कहा, "ऐसी स्थिति में तमिलनाडु सरकार के कार्रवाई नामी को उनके मौजूदा स्वरूप में लागू नहीं करता है।"

इसके लिए तमिलनाडु में संशोधन की मांग की थी।

स्टालिन ने कहा, "ऐसी स्थिति में तमिलनाडु सरकार के कार्रवाई नामी को उनके मौजूदा स्वरूप में लागू नहीं करता है।"

इसके लिए तमिलनाडु में संशोधन की मांग की थी।

स्टालिन ने कहा, "ऐसी स्थिति में तमिलनाडु सरकार के कार्रवाई नामी को उनके मौजूदा स्वरूप में लागू नहीं करता है।"

इसके लिए तमिलनाडु में संशोधन की मांग की थी।

स्टालिन ने कहा, "ऐसी स्थिति में तमिलनाडु सरकार के कार्रवाई नामी को उनके मौजूदा स्वरूप में लागू नहीं करता है।"

इसके लिए तमिलनाडु में संशोधन की मांग की थी।

स्टालिन ने कहा, "ऐसी स्थिति में तमिलनाडु सरकार के कार्रवाई नामी को उनके मौजूदा स्वरूप में लागू नहीं करता है।"

इसके लिए तमिलनाडु में संशोधन की मांग की थी।

स्टालिन ने कहा, "ऐसी स्थिति में तमिलनाडु सरकार के कार्रवाई नामी को उनके मौजूदा स्वरूप में लागू नहीं करता है।"

इसके लिए तमिलनाडु में संशोधन की मांग की थी।

स्टालिन ने कहा, "ऐसी स्थिति में तमिलनाडु सरकार के कार्रवाई नामी को उनके मौजूदा स्वरूप में लागू नहीं करता है।"

इसके लिए तमिलनाडु में संशोधन की मांग की थी।

स्टालिन ने कहा, "ऐसी स्थिति में तमिलनाडु सरकार के कार्रवाई नामी को उनके मौजूदा स्वरूप में लागू नहीं करता है।"


इसके लिए तमिलनाडु में संशोधन की मांग की थी।

स्टालिन ने कहा, "ऐसी स्थिति में तमिलनाडु सरकार के कार्रवाई नामी को उनके मौजूदा स्वरूप में लागू नहीं करता है।"

इसके लिए तमिलनाडु में संशोधन की मांग की थी।

स्टालिन ने कहा, "ऐसी स्थिति में तमिलनाडु सरकार के कार्रवाई नामी को उनके मौजूदा स्वरूप में लागू नहीं करता है।"

इसके लिए तमिलनाडु में संशोधन की मांग की थी।



तमिलनाडु में बारिश जारी, कावेरी डेल्टा क्षेत्रों में खड़ी फसलें प्रभावित

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

बेंगलूरु: तमिलनाडु के कावेरी डेल्टा क्षेत्रों में बुधवार को भी बारिश जारी रहने से यहां धान की फसल प्रभावित हुई। विषय के नेता एडप्पादी के पलानीस्वामी ने आरज्ञ सरकार से किसानों को उचित राहत प्रदान करने का आग्रह किया।

तिरुवरुर, थिरुवृद्धीपौरी, मुथुलदुश्मन और वेदारण्यम् पर बारिश के कारण फसलें अधिक रूप से और कई जगह पूरी तरह से जलमग्न हो गईं तथा किसानों के अनुसार कम से कम दो हजार एकड़े फसलें प्रभावित हुईं। इसके अलावा, नागपट्टिनम (वेदारण्यम्) परिवारम् (मरकनन) जिले में नमक उत्पादन वाले बड़े क्षेत्र जलमग्न हो

गए। अखिल भारतीय अन्न ब्रिडल मुनेव कषगम (अन्नाद्युक्त) महानस्त्रिय एडप्पादी के पलानीस्वामी ने इरुथ्राइपौरी (तिरुवरुर) की सूचना मिली है। कुछ घेड़ों के बिंदी के खंभों पर चिर जाने से बिंदी आपूर्ति गुल हो गई।

भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के वर्षा संबंधी अद्यतन जानकारी के अनुसार, 26 नवंबर को सुहृद साहदे आठ बजे तक विछिले 24 घंटे के बीच नागपट्टिनम में 19 सेमी और चेन्नई में 13 सेमी सहित कई क्षेत्रों में बहुत भारी वर्षा दर्ज की गई। इसके अलावा, डेल्टा क्षेत्रों सहित विभिन्न स्थानों पर व्यापक रूप से भारी वर्षा हुई और राज्य के बाकी विस्तर में हल्की से मध्यम वर्षा हुई। डेल्टा क्षेत्रों और चेन्नई में भी राशीपौरी अपावंश मोचन बल (एनडीआरएफ) तथा राज्य की टीम को बैठान किया गया है।

बारिश के मद्देनजर तिरुवरुर, कुड्लागोर, नागपट्टिनम और मथिलादुश्मनी में एक पुराने

घर के ढेर जाने और जंबुगढ़ोदय में धारणा के तालाब की दीवार गिरने सहित अन्य वर्षा जनित घटनाओं की सूचना मिली है। कुछ घेड़ों के बिंदी के खंभों पर चिर जाने से बिंदी आपूर्ति गुल हो गई।

भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के वर्षा संबंधी अद्यतन जानकारी के अनुसार, 26 नवंबर को सुहृद साहदे आठ बजे तक विछिले 24 घंटे के बीच नागपट्टिनम में 19 सेमी और चेन्नई में 13 सेमी सहित कई क्षेत्रों में बहुत भारी वर्षा दर्ज की गई। इसके अलावा, डेल्टा क्षेत्रों सहित विभिन्न स्थानों पर व्यापक रूप से भारी वर्षा हुई और राज्य के बाकी विस्तर में हल्की से मध्यम वर्षा हुई। डेल्टा क्षेत्रों और चेन्नई में भी राशीपौरी अपावंश मोचन बल (एनडीआरएफ) तथा राज्य की टीम को बैठान किया गया है।

बारिश के मद्देनजर तिरुवरुर, राज्य की टीम को बैठान किया गया है।

चेन्नई में मुख्यमंत्री कैम्प में बुधवार को उपमुख्यमंत्री उदयनिधि स्टालिन के जन्मदिन के मौके पर उन्हें बधाई देते हुए मुख्यमंत्री एके स्टालिन।

को स्कूलों और कॉलेज दोनों में चुनौती की घोषणा कर दी गई है, जिनकि चेन्नई, चेन्नालपेट, अरियालुर और कांचीपुरम में केवल स्कूल हीं बंद किए गए हैं। आईएमडी के बुलिटिन के अनुसार, दक्षिण-पश्चिम बंगल की खाड़ी के ऊपर बना गहरा दबाव का क्षेत्र जाना जाता है। एरियालुर, वेल्लुपुम्पूर तथा चेन्नई में 470 किमी विशेष-वर्षा दर्शकों के संचयन विभाग-पूर्व में हैं। हाँहे दबाव का क्षेत्र 27 नवंबर को बचावत में तब्दील हो सकता है और कुड़ालूर तथा मथिलादुश्मनी को उपस्थिति लगानी चाहिए। आईएमडी के बुलिटिन के अनुसार, दक्षिण-पश्चिम बंगल की खाड़ी के ऊपर बना गहरा दबाव का क्षेत्र जाना जाता है। एरियालुर, वेल्लुपुम्पूर, अरियालुर, तंजायुर, तिरुपत्तूर, नागपट्टिनम और पुदुकोड़ई जिलों में अलग-अलग स्थानों पर भारी से अत्यधिक भारी बारिश तथा एक या दो स्थानों पर अत्यधिक भारी बारिश होने के आसार हैं। चेन्नई, वेल्लुपुम्पूर, अरियालुर, तंजायुर, तिरुपत्तूर, नागपट्टिनम और पुदुकोड़ई जिलों में अलग-अलग स्थानों पर भारी से अत्यधिक भारी बारिश होने की संभावना है।

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

चेन्नई। भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार जानकारी में भारी वर्षा संविधान के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में पांडिचेरी विश्वविद्यालय में संविधान दिवस मनाया गया।

यह कार्यक्रम विधि विद्यालय

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

द्वारा आयोजित किया गया, जिसमें डॉ. (प्रभारी) प्रो. विक्रम आनंदकुमार और प्रमुख(प्रभारी) डॉ. गुरुमिंदर कौर ने उपस्थिति लोगों का स्वागत किया। संविधान दिवस पर एक प्रकाश जाला। नागरिकों का उपलब्ध अधिकारों के संविधान दिवस के संविधान दिवस पर एक प्रकाश जाला। एरियालुर, वेल्लुपुम्पूर, अरियालुर, तंजायुर, तिरुपत्तूर, नागपट्टिनम और पुदुकोड़ई उपस्थिति थे तथा इसकी अध्यक्षता कुलपति(प्रभारी) प्रो. शारानिकरासु ने की। डॉ. बी.आर. अंबेडकर संविधान दिवस मनाया गया।

द्वारा आयोजित किया गया, जिसमें डॉ. (प्रभारी) प्रो. विक्रम आनंदकुमार और प्रमुख(प्रभारी) डॉ. गुरुमिंदर कौर ने उपस्थिति लोगों का स्वागत किया। संविधान दिवस पर एक प्रकाश जाला। नागरिकों का उपलब्ध अधिकारों के संविधान दिवस के संविधान दिवस पर एक प्रकाश जाला। एरियालुर, वेल्लुपुम्पूर, अरियालुर, तंजायुर, तिरुपत्तूर, नागपट्टिनम और पुदुकोड़ई उपस्थिति थे तथा इसकी अध्यक्षता कुलपति(प्रभारी) प्रो. शारानिकरासु ने की। डॉ. बी.आर. अंबेडकर संविधान दिवस मनाया गया।

द्वारा आयोजित किया गया, जिसमें डॉ. (प्रभारी) प्रो. विक्रम आनंदकुमार और प्रमुख(प्रभारी) डॉ. गुरुमिंदर कौर ने उपस्थिति लोगों का स्वागत किया। संविधान दिवस पर एक प्रकाश जाला। नागरिकों का उपलब्ध अधिकारों के संविधान दिवस के संविधान दिवस पर एक प्रकाश जाला। एरियालुर, वेल्लुपुम्पूर, अरियालुर, तंजायुर, तिरुपत्तूर, नागपट्टिनम और पुदुकोड़ई उपस्थिति थे तथा इसकी अध्यक्षता कुलपति(प्रभारी) प्रो. शारानिकरासु ने की। डॉ. बी.आर. अंबेडकर संविधान दिवस मनाया गया।

द्वारा आयोजित किया गया, जिसमें डॉ. (प्रभारी) प्रो. विक्रम आनंदकुमार और प्रमुख(प्रभारी) डॉ. गुरुमिंदर कौर ने उपस्थिति लोगों का स्वागत किया। संविधान दिवस पर एक प्रकाश जाला। नागरिकों का उपलब्ध अधिकारों के संविधान दिवस के संविधान दिवस पर एक प्रकाश जाला। एरियालुर, वेल्लुपुम्पूर, अरियालुर, तंजायुर, तिरुपत्तूर, नागपट्टिनम और पुदुकोड़ई उपस्थिति थे तथा इसकी अध्यक्षता कुलपति(प्रभारी) प्रो. शारानिकरासु ने की। डॉ. बी.आर. अंबेडकर संविधान दिवस मनाया गया।

द्वारा आयोजित किया गया, जिसमें डॉ. (प्रभारी) प्रो. विक्रम आनंदकुमार और प्रमुख(प्रभारी) डॉ. गुरुमिंदर कौर ने उपस्थिति लोगों का स्वागत किया। संविधान दिवस पर एक प्रकाश जाला। नागरिकों का उपलब्ध अधिकारों के संविधान दिवस के संविधान दिवस पर एक प्रकाश जाला। एरियालुर, वेल्लुपुम्पूर, अरियालुर, तंजायुर, तिरुपत्तूर, नागपट्टिनम और पुदुकोड़ई उपस्थिति थे तथा इसकी अध्यक्षता कुलपति(प्रभारी) प्रो. शारानिकरासु ने की। डॉ. बी.आर. अंबेडकर संविधान दिवस मनाया गया।

द्वारा आयोजित किया गया, जिसमें डॉ. (प्रभारी) प्रो. विक्रम आनंदकुमार और प्रमुख(प्रभारी) डॉ. गुरुमिंदर कौर ने उपस्थिति लोगों का स्वागत किया। संविधान दिवस पर एक प्रकाश जाला। नागरिकों का उपलब्ध अधिकारों के संविधान दिवस के संविधान दिवस पर एक प्रकाश जाला। एरियालुर, वेल्लुपुम्पूर, अरियालुर, तंजायुर, तिरुपत्तूर, नागपट्टिनम और पुदुकोड़ई उपस्थिति थे तथा इसकी अध्यक्षता कुलपति(प्रभारी) प्रो. शारानिकरासु ने की। डॉ. बी.आर. अंबेडकर संविधान दिवस मनाया गया।

द्वारा आयोजित किया गया, जिसमें डॉ. (प्रभारी) प्रो. विक्रम आनंदकुमार और प्रमुख(प्रभारी) डॉ. गुरुमिंदर कौर ने उपस्थिति लोगों का स्वागत किया। संविधान दिवस पर एक प्रकाश जाला। नागरिकों का उपलब्ध अधिकारों के संविधान दिवस के संविधान दिवस पर एक प्रकाश जाला। एरियालुर, वेल्लुपुम्पूर, अरियालुर, तंजायुर, तिरुपत्तूर, नागपट्टिनम और पुदुकोड़ई उपस्थिति थे तथा इसकी अध्यक्षता कुलपति(प्रभारी) प्रो. शारानिकरासु ने की। डॉ. बी.आर. अंबेडकर संविधान दिवस मनाया गया।

द्वारा आयोजित किया गया, जिसमें डॉ. (प्रभारी) प्रो. विक्रम आनंदकुमार और प्रमुख(प्रभारी) डॉ. गुरुमिंदर कौर ने उपस्थिति लोगों का स्वागत किया। संविधान दिवस पर एक प्रकाश जाला। नागरिकों का उपलब्ध अधिकारों के संविधान दिवस के संविधान दिवस पर एक प्रकाश जाला। एरियालुर, वेल्लुपुम्पूर, अरियालुर, तंजायुर, तिरुपत्तूर, नागपट्टिनम और पुदुकोड़ई उपस्थिति थे तथा इसकी अध्यक्षता कुलपति(प्रभारी) प्रो. शारानिकरासु ने की। डॉ. बी.आर. अंबेडकर संविधान दिवस मनाया



सुविचार

समझादार व्यक्ति जब संबंध निभाना बंद कर दें तो समझ लो उसके आत्मसम्मान को कही ना कही ऐस पहुंची है..!

दक्षिण भारत राष्ट्रमत

ਅਬ ਤੋ ਘੁਪੀ ਤੋਡੇਂ ਯੂਨੁਸ!

बांग्लादेश से आ रहीं खबरों पर गौर करें तो ऐसा आभास होता है कि यह पड़ोसी देश एक बार फिर 'वर्ष 1971' से युनूस उन गलतियों को दोहरा रहे हैं, जो कभी जुलिकाकार अली भुट्टो, याहा खान, टिक्का खान और एके नियाजी ने की थीं। बस फर्क इतना है कि तब शिक्षित और बंटवारे का ठीकरा फोड़े जाने के लिए कई सिर थे, अब यूनूस अकेले हैं। जब बांग्लादेश पूर्वी पाकिस्तान हुआ करता था, वहां आम लोगों, खासकर अल्पसंख्यकों पर अत्याचार बहुत ज्यादा बढ़ गए थे, तब भारत उनके लिए संकटमोचक बनकर आया था। हमारी हर सरकार ने बांग्लादेश के आर्थिक विकास के लिए सहयोग किया, लेकिन इसका बदला जिस तरह मिला, वह दुःखद है। हाल के महीनों में वहां जिस भयानक स्तर पर हालात बिगड़े, उन्हें देखकर साफ पता चलता है कि इस पड़ोसी देश में भारतविरोधी भावनाओं की जड़ें कफी गहरी हैं। बांग्लादेश में 'अर्थशाश्वी' के नेतृत्व में अल्पसंख्यकों, खासकर हिंदुओं पर अत्याचार का ग्राफ घटने के बजाय बढ़ता जा रहा है। उनके घरों, प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया जा रहा है। ऐसा लग ही नहीं रहा कि बांग्लादेश में कोई सरकार है। अगर सरकार है तो कहरपंथियों के हौसले इतने बुलंद क्यों हैं? क्या यूनूस ने उनके साथ कोई गुप्त संधि कर रखी है या वे जानबूझक धृतराष्ट्र बन रहे हैं? अत्याचार की कई घटनाओं के बाद हिंदू धर्मगुरु चिन्मय कृष्णदास को जिस आरोप में गिरफतार किया गया, वह बांग्लादेश में गहरे असंतोष के बीज बो सकता है। इससे उसकी अखंडता और संप्रभुता भी खतरे में पड़ सकती हैं।

चिन्मय कृष्णादास पर आरोप लगाया गया है कि उन्होंने विरोध प्रदर्शन के दौरान बांगलादेशी झंडे का अपमान किया, चूंकि भगवा ध्वज को ज्यादा उच्चा फहराया गया था! इस आरोप का यह कहने हुए खंडन किया जा रहा है कि 'बांगलादेशी झंडे का अपमान करने' जैसी कोई मंशा ही नहीं थी। अगर बांगलादेशी सरकार उक्त आरोप को इतना गंभीर मानती है तो उसे उन लोगों को भी जेल में डालना चाहिए, जो कुछ महीने पहले शेष मुजीबुर्रहमान की प्रतिमा पर हथौड़े चला रहे थे। क्या यूनुस इतना हौसला दिखा पाएँ? अगर भगवा झंडा फहराना 'देशद्रोह' है तो राष्ट्रपिता की प्रतिमा पर हथौड़े चलाना, महिला प्रधानमंत्री के वरओं का सड़कों पर अश्लील प्रदर्शन करना कौनसी 'देशभक्ति' है? जिन लोगों ने पूरे बांगलादेश में हिंसक हुड़ंगा मचाया, अल्पसंख्यकों पर हमले किए, वे तो आज तक खुले घूम रहे हैं। यूनुस इतनी फुर्ती ऐसे तत्त्वों को गिरफ्तार करने में क्यों नहीं दिखाते? वहां तो वे पूरी तरह उदासीन और निष्क्रिय दिखाई देते हैं। वास्तव में बांगलादेश में जिसकी भी सरकार रही हो, इसने हमेशा 'दो चेहरे' रखे। एक ऐसा, जिसे दिखाकर यह खुद को विकासशील, प्रगतिशील और कर्मठ बताता रहा। इससे इसे विभिन्न देशों, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से सहायता लेने में आसानी हुई। इसका दूसरा चेहरा वह था, जो लगभग अदृश्य ही रहा। बांगलादेश में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार की कई घटनाएं हुईं, लेकिन उनके बारे में मीडिया में चर्चा नहीं हुई। वहां कई लेखकों को अपने प्रगतिशील विचारों की किमत जान देकर चुकानी पड़ी। कई तो वहां से जान बचाकर भागे, क्योंकि कट्टरपंथी किसी भी वक्त धावा बोल सकते थे। बांगलादेशी नेतागण वोटैंकैं और कुर्सी बचाने के लिए कट्टरपंथी तत्त्वों से समझौते करते रहे। वहीं, आए दिन अत्याचारों से व्रत्त होकर अल्पसंख्यक समुदाय के लोग देश छोड़ने को मजबूर हो गए। यह सिलसिला आज तक जारी है। बांगलादेश में विदेशी मीडिया के कैमरे नहीं पहुंचे, जो पहुंचे, वे भी 'धूधले' हो गए। दुर्भाग्य रहा कि भारत समेत कई देशों के बड़े-बड़े नेता हिंदुओं के मानवाधिकारों के लिए खुलकर बोलने से हिक्कते रहे। अब जबकि बांगलादेशी हिंदू अपने लिए खुद आवाज उठा रहे हैं तो डोनाल्ड ट्रंप समेत कई नेता, सामाजिक कार्यकारी चुप्पी तोड़ने लगे हैं। चुप्पी तो यूनुस को भी तोड़नी चाहिए। अगर वे बांगलादेश में शांति स्थापित करने में सक्षम नहीं हैं तो उन्हें मदद मांगनी चाहिए। कहीं ऐसा न हो कि उनकी चुप्पी रह जाए और बांगलादेश टट जाए।



सामरिक

जहां दुनिया के विकसित देशों में अधिकांश आबादी इंटरनेट से जुड़ने के कारण प्रगति की राह में सरपट दौड़ रही है, तो गरीब मुलकों में यह प्रतिशत विकसित देशों के मुकाबले करीब एक चौथाई ही है। ऐसे में समतामूलक आदर्श समाज की स्थापना के लिये डिजिटल डिवाइड को खत्म करना प्राथमिकता होनी चाहिए। इसके मद्देनजर हमारी कोशिश हो कि आधुनिक प्रौद्योगिकी का स्वरूप समावेशी हो। ताकि आधुनिक तकनीक तक बच्चों की समाज व सुरक्षित पहुंच हो सके। निर्विवाद रूप से बच्चे आने वाले कल के लिये देश का भविष्य निर्धारिक होते हैं।

जलवायु परिवर्तन के खतरों से बचों को बचाएं

ललित ग

मोबाइल : 9811051133

४

ह ल ही में प्रस्तुत हुई यूनिसेफ की रिपोर्ट 'द फ्यूचर ऑफ चिल्ड्रेन इन चेंजिंग वर्ल्ड' ने भारत में बच्चों के भविष्य को लेकर उत्पन्न चुनौतियों, त्रासद स्थितियों एवं भयावह भविष्य को उजागर किया है। इस रिपोर्ट में जिक्र किया गया है कि साल 2050 तक भारत में 35 करोड़ बच्चे जनसांख्यिकीय बदलावों, जलवायु संकट, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और तकनीकी बदलावों की चुनौतियों का सामना कर रहे होंगे। उस समय जन्म लेने वाले बच्चों को जन्म के बाद जीवन में जलवायु परिवर्तन के संकटों से जु़झना होगा, भीषण लू, गरमी, बाढ़, तूफान, चक्रवात और अनेक जलवायु जनित बीमारियों से सामना करना होगा। वायु प्रदूषण की विभीषिका, गहराते जल संकट, सिमटते प्राकृतिक संसाधन, जलवायु परिवर्तन व रोजगार की विसंगतियों के बीच आने वाली पीढ़ी के बच्चों का जीवन निस्संदेह संघर्षपूर्ण, चुनौतीपूर्ण एवं संकटपूर्ण होगा। वर्ष 2021 में बच्चों के जलवायु जोखिम सूचकांक में भारत कुल 163 देशों की सूची में 26वें स्थान पर था। ऐसे में भारत में बच्चों को अधिक गर्मी, बाढ़ और वायु प्रदूषण से गंभीर जोखिम का सामना करना पड़ता है। खासकर ग्रामीण और कम आय वाले समुदायों में यह संख्या ज्यादा है। लेकिन रिपोर्ट बताती है कि 2050 में बच्चों को 2000 के दशक की तुलना में लगभग आठ गुना ज्यादा गर्मी झेलनी पड़ सकती है। जाहिर है, जलवायु संकट बच्चों के स्वास्थ्य, शिक्षा, चिकित्सा तथा पानी जैसे आवश्यक संसाधनों तक उनकी पहुंच पर प्रतिकूल असर डाल सकता है। चिंता की बात यह है कि इन तमाम विसंगतियों, विभाजनों व नेतृत्व की अदूरदर्शीता के बीच बच्चों के भविष्य पर मंडरा रहे खतरों के लिये सबैदनशीलता के साथ सावधान एवं सतर्क होने एवं उचित-प्रभावी कार्ययोजना बनाने की जरूरत है।

इसी तरह, गहरे डिजिटल विभाजन के बीच विभाजनों के लिये सबैदनशीलता के साथ सावधान एवं सतर्क होने एवं उचित-प्रभावी कार्ययोजना बनाने की जरूरत है।

व्यापकता ने बच्चों के जीवन में अनेक सकट खड़ किये हैं। यूनिसेफ ने इस डिजिटल डिवाइड को पाटने और बच्चों तक नयी प्रौद्योगिकियों की सुरक्षित एवं समान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए समावेशी प्रौद्योगिकी पहल की वकालत की है। बच्चे चूंकि हमारा भविष्य हैं, इसलिए बच्चों और उनके अधिकारों को सरकारी नीतियों-रणनीतियों के केंद्र में रखना समृद्ध और टिकाऊ भविष्य के निर्माण एवं संतुलित-आदर्श समाज-व्यवस्था के लिए आवश्यक है। अक्सर यह सावाल विमर्श में होता है कि धरती के प्रति गैर-जिम्मेदार व्यवहार के चलते हम कैसा देश आने वाली पीढ़ियों के लिये छोड़कर जाएंगे। आने वाले पवित्र वर्षों में बच्चों पर लू का 8 गुणा, बाढ़ का 3 गुणा एवं जंगली आग का दोगुणा खतरा होगा। यहीं वजह है कि संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यानी यूनिसेफ ने बच्चों के भविष्य की तस्वीर उकरते हुए विभिन्न चुनौतियों के मुकाबले के अनुरूप नीति निर्माण की जरूरत बतायी है। यूनिसेफ ने सदी के पांचवें दशक तक की तीन महत्वपूर्ण वैश्विक प्रवृत्तियों का खाका खींचा है। ये घटक नैनिहालों के भविष्य के जीवन को नया स्वरूप देने में अहम भूमिका निभाएंगे।

वर्ष 2050 तक देश की आधी आबादी के शहरी क्षेत्रों में रहने का अनुमान है। दरअसल, मौजूदा दौर में जिस तेजी से गांवों से शहरों की ओ पलायन बढ़ रहा है, जाहिर है ऐसी स्थिति में पहले से आवादी के बोझ तले दबी नागरिक सेवाएं चरमरा जाएंगी। ऐसे में सत्ताधीशों के लिये जरूरी होगा कि जलवायु परिवर्तन के संकट के बीच बच्चों के अनुरूप शहरी नियोजन को अपनी प्राथमिकता बनाएं और बच्चों के अनुकूल और जलवायु परिवर्तन के लिहाज से जु़झारू, सुरक्षित एवं निरापद शहरी नियोजन के लिये शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल और टिकाऊ शहरी ढांचे में निवेश को प्राथमिकता दी जाये। शहर बेहतर जीवन के लिए बेहतरीन अवसर और उम्मीद दे सकते हैं। वे वैश्विक सकल घरेल उत्पाद का 80% विभिन्न देशों द्वारा उत्पादित होता है। वर्तमान में मौजूद रहने के बजाय, लोग भविष्य के बारे में सोचने में अधिक से अधिक समय व्यतीत कर रहे हैं। और ज्यादातर मामलों में वे बारे में नहीं सोच रहे हैं।

प्रदान कर सकते हैं।

बढ़ता शहरीकरण बड़ी असमानताओं को भी जन्म दे सकते हैं। आज शहरी क्षेत्रों में रहने वाले 4 बिलियन लोगों में से लगभग एक तिहाई बच्चे हैं। यह अनुमान है कि 2050 तक, दुनिया के लगभग 70 प्रतिशत बच्चे शहरी क्षेत्रों में रहेंगे, जिनमें से कई झुग्मी-झोपड़ियों में रहेंगे। इसलिए शहर स्कूलों और अस्पतालों जैसी बुनियादी सेवाओं तक बेहतर पहुंच प्रदान कर सकते हैं, भीड़भाड़ और उच्च प्रवेश लागत के कारण सबसे गरीब शहरी बच्चे उन तक पहुंचने में असमर्थ हो सकते हैं। अन्य चुनौतियाँ जो शहरी गरीबों को प्रभावित करती हैं, विशेष रूप से झुग्मी-झोपड़ियों में रहने वालों को, उनमें भीड़भाड़ और अपर्याप्त सफाई व्यवस्थाएं शामिल हैं—जो बीमारियों के फैलने में सहायक होती हैं—किफायती और सुरक्षित आवास की कमी, परिवहन की खराक पहुंच और बाहरी वायु प्रदूषण में वृद्धि आदि हैं। उल्लेखनीय है कि उस समय देश जनसांख्यिकी बदलावों की चुनौती से जू़झ रहा होगा। आकलन किया जा रहा है कि इस बदलाव के चलते ही वर्तमान की तुलना में बच्चों की संख्या में करीब दस करोड़ की कमी आएगी। वर्तमान में पूरी दुनिया में एक अख बच्चे उच्च जोखिम वाले जलवायु खतरों का मुकाबला कर रहे हैं, तो अगर सरकारें अभी से नहीं चेती तो 2050 की स्थिति का सहज आकलन किया जा सकता है। मासूम चेहरों एवं चमकीली आंखों का नया बचपन भारत के भाल पर उजागर एवं कायम करने के लिये सरकारों को गंभीर होना होगा।

बच्चे के जीवन के प्रारंभिक वर्षों के दौरान आधुनिक मानवतावाद और पूँजीवाद से प्रभावित होकर प्रदर्शन पर अधिक ध्यान दिया जा रहा है। इससे परिवारों और बाल देखभाल प्रदाताओं पर अनावश्यक दबाव लगता है। वर्तमान में मौजूद रहने के बजाय, लोग भविष्य के बारे में सोचने में अधिक से अधिक समय व्यतीत कर रहे हैं। और ज्यादातर मामलों में वे बारे में नहीं सोच रहे हैं।

महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि वे अधिक उत्तर शैक्षणिक ट्रैक या अधिक प्रतिष्ठित करियर में चयन के लिए प्रासंगिक नहीं हैं। इसका परिणाम यह होता है कि बच्चों में कई प्रतिभाएँ अविकसित रह जाती हैं। अगर समाज को भविष्य की चुनौतियों का सामना करना है—चाहे वह भविष्य आखिरकार कैसा भी क्यों न हो, तो भविष्य के खतरों की आहट को सुनते हुए जागरूक होना होगा। साफ है, नीति के स्तर पर प्रदूषण एवं बदलते मौसम की मार के लिये काम करना होगा। कम से कम भविष्य या बच्चों के लिये तो ऐसा किया ही जाना चाहिए। निश्चित ही यूनिसेफ की हालिया रिपोर्ट बच्चों के भविष्य की चिंताओं पर मंथन करने तथा उसके अनुरूप नीति-नियंताओं से नीतियां बनाने का सबल आग्रह करती है। तेजी से डिजिटल होती दुनिया में डिजिटल विभाजन भी एक बड़ी चुनौती होगी। तब तक कृत्रिम बुद्धिमत्ता का प्रयोग चरम पर होगा। जाहिर है कृत्रिम बुद्धिमत्ता जहां तरक्की का मुख्य साधन होगी, वहाँ इसकी विसंगतियों का प्रभाव रोजगार के अवसरों एवं सामाजिक-पारिवारिक संरचना पर भी पड़ेगा।

जहां दुनिया के विकसित देशों में अधिकांश आबादी इंटरनेट से जु़ड़ने के कारण प्रगति की राह में सरपट दौड़ रही है, तो गरीब मूलकों में यह प्रतिशत विकसित देशों के मुकाबले करीब एक चौथाई ही है। ऐसे में समतामूलक आदर्श समाज की स्थापना के लिये डिजिटल डिवाइड को खत्म करना प्राथमिकता होनी चाहिए। इसके मध्यनजर हमारी कोशिश हो कि आधुनिक प्रौद्योगिकी का स्वरूप समावेशी हो। ताकि आधुनिक तकनीक तक बच्चों की समान व सुरक्षित पहुंच हो सके। निर्विवाद रूप से बच्चे आने वाले कल के लिये देश का भविष्य निर्धारक होते हैं। ऐसे में हर लोक कल्याणकारी सरकार का नैतिक दायित्व है कि अपनी रीतियों-नीतियों में बच्चों के हितों व अधिकारों को प्राथमिकता दे। तभी हम उनके सुखद भविष्य की उम्मीद कर सकते हैं।

एआई यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता बच्चों के लिए अच्छी प्रतिशत से अधिक उत्पन्न करते हैं और उन्हें तेजी हैं कि व्यापक अर्थों में सफल जीवन कैसा हो सकते हैं।

नजरिया

धर्मनिरपेक्षता के नाम पर मारकाट कब थमेगी?

डॉ. सत्यवान सौरभ
मोबाइल : 9466526148

मोबाइल : 9466526148

सं भल में दायर याचिका वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद और मथुरा के शाही ईदगाह के लिए दायर याचिकाओं की तरह ही है। मुख्य मुद्दा यह है कि कानून-‘पूजा स्थल अधिनियम, 1991’ को कैसे समझा जाता है। संभल की जिला अदालत ने शाही जामा मस्जिद मुगल स्प्राट बाबर ने 1529 में ध्वस्त कराया था। बाबरनामा और आइन-ए-अकबरी किताब में इस बात का उल्लेख है कि जिस जगह पर जामा मस्जिद बनी है, वहाँ कभी हमिहर मंदिर हुआ करता था।’ मुस्लिम पक्ष भी मानता है कि जामा मस्जिद बाबर ने बनवाई थी और आज तक मुसलमान इसमें नमाज दावों को आम तौर पर अंकित मूल्य (प्रथम दृष्ट्या) पर स्वीकार कर लिया जाता है, अगर मुकदमा विचारणीय माना जाता है तो बाद में और सबूत पेश किए जा सकते हैं। हालाँकि, कोई भी दावा जो पूजा स्थल के धार्मिक चरित्र को बदलने की कोशिश करता है, उसे पूजा स्थल अधिनियम, 1991 के में नए मुकदमे दायर नहीं किए जा सकते। उल्लेखन रूप से, यह अधिनियम अपने अधिनियमन के स पहले से ही विचाराधीन विवादों पर लागू नहीं होता है, जैसे बाबरी मस्जिद-राम जन्मभूमि मामला जिसने समकालीन विवादों में इसके आवेदन जटिल बना दिया है।

का सर्वेक्षण करने का आदेश एक याचिका के आधार पर दिया, जिसमें वावा किया गया था कि यह हिंदू मंदिर स्थल पर बनी है। इस आदेश के कारण स्थानीय मुस्लिम निवासियों ने विरोध प्रदर्शन किया, जिन्होंने इसे अपने धार्मिक अधिकारों और विरासत पर हमला माना। जब सर्वेक्षण का विरोध करने के लिए बड़ी भीड़ इकट्ठा हुई तो विरोध प्रदर्शन हिंसा में बदल गया। रिपोर्ट बताती है कि प्रदर्शनकारियों की पुलिस से झड़प हुई, जिसके परिणामस्वरूप प्रदर्शनकारियों और कानून प्रवर्तन अधिकारियों दोनों को चोटें आईं और मारे हुएं। भारत में धार्मिक स्थलों पर चल रहे विवाद, विशेष रूप से ऐतिहासिक धर्मात्मण के दावों से जुड़े विवादों ने सांप्रदायिक संवेदनशीलता को बढ़ा दिया है। वाराणसी और मथुरा में इसी तरह के मामलों ने ऐसे उदाहरण स्थापित किए हैं जो धार्मिक स्थलों की यथास्थिति को खतरे में डालने वाले सर्वेक्षणों या कानूनी कार्यालयों के रूप में देखे जाने पर सार्वजनिक

पढ़ते आ रहे हैं। हालांकि मुस्लिम पक्ष कानूनी विवाद में सुप्रीम कोर्ट के 1991 के उस ऑर्डर को आधार बनाकर अपना विरोध दर्ज करता है, जिसमें अदालत ने कहा था कि 15 अगस्त 1947 से जो भी धार्मिक स्थल जिस भी स्थिति में हैं, वह अपने स्थान पर बने रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या पर फैसले के समय भी इस पक्ष जो दिया था। इसके जरिए मुस्लिम पक्ष संभल की जामा मस्जिद पर हक जताता है और हिंदू पक्ष के दावे, किसी अन्य न्यायिक कार्यवाही की कानून की अवहेलना बताया तहत वर्जित किया जाता है। इस अधिनियम का उद्देश्य धार्मिक स्थलों की यथास्थिति को बनाए रखना है जैसा कि वे 15 अगस्त, 1947 को मौजूद थे। पूजा स्थल अधिनियम, 1991 क्या कहता है? अधिनियम पूजा स्थलों के किसी भी रूपांतरण पर रोक लगाता है और यह अनिवार्य करता है कि उनका धार्मिक चरित्र वैसा ही रहना चाहिए जैसा वह 15 अगस्त, 1947 को था। विशेष रूप से, धारा 3 किसी भी पूर्ण या आंशिक रूप से किसी अन्य संप्रदाय या संप्रदाय के पूजा स्थल में रूपांतरण पर सुनिश्चित करके कि 15 अगस्त, 1947 तक स्थलों के धार्मिक चरित्र को चुनाती देने वालों को खारिज कर दिया जाए, अनावश्यक सर्वेक्षण या कार्यवाही से बचना चाहिए सांप्रदायिक तनाव को बढ़ा सकते हैं। सरकार और स्थानीय अधिकारियों को ऐतिहासिक शिकायतों को शांतिपूर्ण तरीके से दूर करने और आपसी समझ को बढ़ावा देने, हिंसक झड़पों जोखिम को कम करने और सांप्रदायिक सद्ग्राव बढ़ावा देने के लिए अंतर-धार्मिक चर्चाओं सुविधाजनक बनाना चाहिए।

पाठकों से अनुरोध है कि इस प्रकाशन में प्रकाशित किए जाने वाले किसी भी तरह के विज्ञापन (वैज्ञानिक, वर्गीकृत, टैंडर एवं सजावटी इत्यादि) पर कोई भी कार्यवाही, प्रतिबद्धता या धनराशि का व्यय करने से पूर्व इन विज्ञापनों के बारे में समर्पण जानकारी वह रखने प्राप्त कर लें। दक्षिण भारत राष्ट्रपति सभा उत्तराखण्ड की गुणवत्ता तथा सेवाओं के लिए विज्ञापनदाताओं द्वारा किए जा रहे किसी प्रकार के दारों के लिए जिम्मेदार नहीं है। अगर विज्ञापनदाता विज्ञापन में किया जा रहा दावा पूरा नहीं करता है तो दक्षिण भारत राष्ट्रपति सभा में संपादक, भुदक एवं प्रकाशक या समाजिकनां को प्रताप किसी भी रूप से तस्तविक नहीं बना सकता। **दक्षिण भारत राष्ट्रपति**

प्रेक्ष प्रसंग

पटेल का ऋषिकर्मी

੩

जिसनों पर जुल्म और अत्याचार कर रहे थे। सरदार पटेल ने उन्हसूस किया कि किसानों को शिक्षा प्रदान करना बहुत जरूरी है। उन्हीं देने पर टेल ने किसानों के घर-घर का दौरा किया। उन्हें समझ आया कि किसानों के परिवारों को थोड़ी-बहुत शिक्षा नहीं दी जाएगी तब तक तासे से समझा पाना मुश्किल है। पटेल ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ उन्हें शिक्षा की अहमियत बताई। एक दिन पटेल ने किसान के घर में लिका को बुलाया और उसे एक पुस्तक दिखाते हुए बोले, 'वेटा जानती रहताब है। इसको पढ़ने से बचा समझदार हो जाता है।' बात सुनकर उत्तली भाषा में बोली, 'पर किताब पढ़ने के लिए कोई तो होना चाहिए।' 'बात समझाती है, वैसे ही किताब कोई समझाएगा तो मैं भी पढ़नी।' उत्तराई भरी बातें सुनकर पटेल दंग रह गए। उन्होंने ठान लिया कि एक विद्यापीठ की स्थापना करनी होगी, जिससे बच्चों को कुछ पढ़ने-अवसर प्राप्त होगा। इसके बाद उन्होंने विद्यापीठ की स्थापना के लिए करना शुरू कर दिया।

महत्वपूर्ण

Published by Bhupendra Kumar on behalf of New Media Company, Arihant Plaza, 2nd Floor, 84-85, Wall Tax Road, Chennai-600 003 and printed by R. Kannan Adityan at Deviyin Kanmani Achagam, 246, Anna Salai, Thousand Lights, Chennai-600 006. Editor : Bhupendra Kumar (Responsible for selection of news under PRB Act.). Group Editor - Shreekant Parashar. Reproduction of any matter from this newspaper in whole or in part or any suchmanner without prior written

